

प्रेस नोट                      जनपद                      रामपुर

दिनांक 24.11.2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

थाना मिलकखानम:-जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 24-11-2021 को थाना मिलकखानम, रामपुर पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त शेर सिंह उर्फ शेरू पुत्र लखवीर सिंह निवासी ग्राम कंगनगढी थाना मिलकखानम, रामपुर को डिलारी मोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त दिनांक 18-10-2021 से जिलाबदर चल रहा था। इस सम्बन्ध में थाना मिलकखानम पर मु0अ0सं0-151/21 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना गंज:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 24-11-2021 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सतपाल सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी ग्राम मौलियो की मजार उर्फ मोवीनपुर थाना शहजादनगर, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना बिलासपुर:-50 लीटर अपमिश्रित शराबखाम व 03 किलो यूरिया के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 24-11-2021 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा धनौरा मोड से धनौरा की तरफ कच्चे रास्ते से 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 50 लीटर अपमिश्रित शराबखाम व 03 किलो यूरिया बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01-राजवीर पुत्र विजय विश्वास,

02-धर्मवीर विश्वास पुत्र विजय विश्वास निवासीगण ग्राम साहनी फार्म थाना बिलासपुर, रामपुर।

बरामदगी- 50 लीटर अपमिश्रित शराबखाम व 03 किलो यूरिया बरामद।

अपराधित इतिहास-

अभियुक्त राजवीर पुत्र विजय विश्वास का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 84/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलासपुर, रामपुर।

अभियुक्त धर्मवीर विश्वास पुत्र विजय विश्वास का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 376/16 धारा 41/102 सीआरपीसी व 420/467/411 भादवि थाना बिलासपुर, रामपुर।

- 02- मु0अ0सं0 377/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बिलासपुर, रामपुर।  
03- मु0अ0सं0 27/19 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना बिलासपुर, रामपुर।  
04- मु0अ0सं0 342/19 धारा 401 भादवि थाना बिलासपुर, रामपुर।  
05- मु0अ0सं0 133/20 धारा 174ए भादवि थाना बिलासपुर, रामपुर।  
06- मु0अ0सं0 207/21 धारा 401 भादवि थाना बिलासपुर, रामपुर।  
07- मु0अ0सं0 209/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलासपुर, रामपुर।  
कार्यवाही-
- इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0-428/21 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।